

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

कार्यालय पत्र संख्या-2411-18 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक: 27-03-2025 में आंशिक संशोधन करते हुए संशोधित परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का आगणन निर्गत किया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 व अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/36 -3-2014-07 (न्यूवे0)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-02-2019 -931(न्यूवे0)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 के औसत अंक 413 पर दिनांक: 1-04-2025 से 30-9-2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त-रूपये 5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-413 पर दिनांक: 1-04-2025 से 30-9-2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(413-216)

.....x5750= रू0-5244.21/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।

कर्मक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक:1.10.2024 से 31.3.2025 तक कुल मजदूरी (रूपये में)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0 में	दिनांक:1.04.2025 से 30.9.2025 तक	
				दिनांक:1.04.2025 से 30.9.2025 तक	कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	10701	5244.21	10994.21	422.85
2	अधकुशल	6325	11772	5768.63	12093.63	465.13
3	कुशल	7085	13186	6461.78	13546.78	521.03

2 ईट भट्टा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:-

कर्मक	श्रेणी	दिनांक:1.04.2025 से 30.9.2025 तक		
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0 में	कुल मजदूरी(रूपये में)
1	अकुशल	उपरोक्त तालिका के कर्मक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
2	कुशल	रू0-365	रू0-332.89	रूपया-697.89/- प्रति हजार
2	मराईवाला (1) 500 मीटर की दूरी तक (2) 500 मीटर से अधिक	रू0-110	रू0-100.32	रूपया-210.32/- प्रति हजार
		रू0-132	रू0-120.38	रूपया-252.38/- प्रति हजार
3	निकासी वाला	रू0-110	रू0-100.32	रूपया-210.32/- प्रति हजार

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- मिष्ठान उद्योग।
- वासित पेयो(एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- डरी और मिल्क डरी।
- सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बॉय टटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- धर्म शोधनशाला और धर्म विनिर्माणशाला।
- धर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी सिकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण।

- 24 धर्मशाला।
- 25 यानित्री(कारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- 26 दुकानों में
- 27 कृषिज्य अधिष्ठानों में।
- 28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- 29 तेल मिल।
- 30 लोक मीटर परिवहन।
- 31 यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
- 32 आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
- 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण सक्रियताओं।
- 34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
- 35 पिकन के कार्य।
- 36 दियासलाई उद्योग।
- 37 आइसक्रीम/आइसकीम विनिर्माणशाला।
- 38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
- 39 बर्क विनिर्माणशाला।
- 40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
- 41 लाण्ट्री और धुलाई अधिष्ठान।
- 42 जिल्दसाजी।
- 43 कोल्ड स्टोरेज।
- 44 पाटरी, सिरीमेक्स या रिफैक्ट्रीज।
- 45 निजी मुद्रणालय।
- 46 सिनेमा उद्योग।
- 47 कपड़ा छपाई।
- 48 सिलाई उद्योग।
- 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
- 50 क्लब
- 51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
- 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिक्लेट या साबुन का घूर्ण या प्रसालक विनिर्माण।
- 53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
- 54 खाण्डसारी।
- 55 हथकरघा उद्योग।
- 56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
- 57 छोट(मिनिएचर) बल्ब एवं कॉच उत्पादों के निर्माण।
- 58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
- 59 ईट मट्टा उद्योग।
- 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
- 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
- 62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अनिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हो।
- 63 बृहत्तर और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रातिरोध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध किये-कलाप सम्मिलित नहीं है।
- 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
- 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
- 66 एलओजीओवितरण एवं संबन्धित सेवाओं में नियोजन।
- 67 टैक्सिज, आटोरिक्शा/टैम्पो एवं ट्रेवलिंग अनिकरण में नियोजन।
- 68 कोबिल आपरेटर एवं संबन्धित सेवाओं में नियोजन।
- 69 गैर सरकारी संगठन(एनओजीओ) एवं संबन्धित सेवाओं में नियोजन।
- 70 विद्युत संवर्धन(विद्युत संवर्धन(सेवा शर्त) अधिनियम 1978 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
- 71 हेयर कटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर्स(पुरुष एवं महिलायों) में नियोजन।
- 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
- 73 काल सेन्टर/आईटीओ इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
- 74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(मार्कण्डेय साही)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।
संख्या ११२४-३८ प्रवर्तन-(एमओडब्लू)/१५ दिनांक २६/०३/२०२५

- 1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त जो प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराए।
- 2 अनुसूचित उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-३, बापू भवन, लखनऊ।
- 3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)नारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल me@waecell@nic.in के माध्यम से
- 4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 5 उप श्रम आयुक्त(आईओआर), मुख्यालय, कानपुर।
- 6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर) मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- 7 श्री हिमाशु कुमार, पुस्तकालयध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- 8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

Signed by
Markandeya Sahi

(मार्कण्डेय साही)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
Date: 26-03-2025 17:33:08